



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

#### 105 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 08 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही के तहत थाना इ०सु०पुर, रामकोट,हरगांव,मछरेहटा पुलिस द्वारा 08 व्यक्ति गिरफ्तार कर कुल 105 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी। विवरण निम्नवत् है-

**थाना मछरेहटा द्वारा 04 अभियुक्त के कब्जे से 80 ली० शराब बरामद-** दिनांक 30.10.2020 को  
1. राम कृपाल पुत्र बट्टी प्रसाद निवासी बडैला थाना मछरेहटा 2. राम प्रसाद पुत्र बराती निवासी शम्भू पुरवा थाना मछरेहटा 3. राजाराम पुत्र बाबूराम निवासी शम्भू पुरवा थाना मछरेहटा 4. मनोहक पुत्र राम दयाल निवासी मधवापुर थाना मछरेहटा सीतापुर के कब्जे से क्रमशः 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं० 243/20,246/20,247/20,248/20 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**थाना इ०सु०पुर द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 05 ली० शराब बरामद-** दिनांक 30.10.2020 को  
1. सन्तोष पुत्र राम सागर निवासी पेरई रायपुर जनपद सीतापुर कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु०अ०सं० 300/20 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**थाना रामकोट द्वारा 02 अभियुक्त के कब्जे से 10 ली० शराब बरामद-** दिनांक 30.10.2020 को 1. बाबूराम पुत्र नोखे निवासी कट्टिया थाना रामकोट 2.विनोद पुत्र राम भजन निवासी खग्रेसियामऊ थाना रामकोट जनपद सीतापुर कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु०अ०सं० 504/20,505/20 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**थाना हरगांव द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 10 ली० शराब बरामद-** दिनांक 30.10.2020 को 1. नरायन पुत्र जीजीराम निवासी गुलेरीपुरवा थाना तालगांव जनपद सीतापुर कब्जे से क्रमशः 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं० 515/20 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।